न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–401/2019

मो0 समसुद्दीन एवं अन्य...वादीगण

बनाम

हरेन्द्र ठाकुर एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 08.03.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 योगेन्द्र ठाकुर की मृत्यु दिनांक 13.11.2021 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–02 योगेन्द्र ठाकुर के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नि मु0 सुभावती देवी एवं एक पुत्र धीरेन्द्र ठाकुर को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–02 योगेन्द्र ठाकुर का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन को खारिज करने योग्य बताया गया। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–02 योगेन्द्र ठाकुर की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण का आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। फिर भी न्यायहित में वादीगण का आवेदन मो0–300/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–02 का नाम कलमजद करें तथा प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों का नाम प्रतिस्थापित करें तत्पश्चात वादीगण प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 04.01.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	